TEN RUPEES COURT FEE INDIA (x3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (165)

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी

II/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/3014

निगरानीकर्ता ---- जयंत नीखरा पुत्र श्री के. एल. नीखरा,
उम्र 48 वर्ष, निवासी- गार्डन होम
फ्लेट नं.312थाटीपुर ग्वालियर (म.प्र.)।

बनाम

अनावेदकगण ---- 1. म.प्र. राज्य द्वारा तहसीलदार
तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)।

2. थाना प्रभरी थाना चिरूला जिला
दतिया(म.प्र.)।

3. खयालीराम पुत्र श्री मन्नूलाल केवट
निवासी ग्राम डेरा चिरूला तह. व
जिला दतिया (म.प्र.)।

श्री विनोद वर्मा अधि० द्वारा आज दि. 31.8.17 को प्रस्तुत
31.8.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 स्थगन आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला दतिया प्रकरण क्र. 13/अ-70/2016-17 आदेश पारित दिनांक 11.08.2017 के विरूद्ध

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधरों पर निवेदित है कि:-

1. यह कि, संक्षेप में प्रकरण इसप्रकार है कि अनावेदक क्र. 03 द्वारा एक आवेदन अनावेदक क्र. 01 के समक्ष इस आसय का प्रस्तुत किया कि मौजा गंधारी स्थित आराजी सर्वे क्र. 701,702,703,704,705,707,708,737,743,735 लगायत 743,740 लगायत 743,751,588 लगायत 590,694 लगायत 702 कुल रकवा 11.02 हेक्टेयर मे से अनावेदक / पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिस पर से अनावेदक क्र. 01 द्वारा अनावेदक क्र.02 को निगरानीकर्ता / अनावेदक को विना सूचना के एवं सुने वगैर तथा बिना किसी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

दो / निगरानी / दतिया / भूरा / 2017 / 3014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
18 –9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनीत वर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा तहसीलदार तहसील दतिया के प्रकरण कमांक 13 / अ–70 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 11.8.17 विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अनावेदक कमांक–3 ने अनावेदक कमांक–1 यानी तहसीलदार तहसील व जिला दतिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदक अवैध निर्माण कार्य करं रहा है । उस आवेदन पर तहसीलदार द्वारा विचारोपरांत दिनांक 11.8.17 को अवैध निर्माण करने के संबंध में स्थगन जारी कर एक प्रति थाना प्रभारी चिरूला जिला दतिया को भेजकर प्रतिलिपि राजस्व निरीक्षक को भेजकर आदेशित किया कि अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रदाय करें, इससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन मंगाया गया था, लेकिन आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन की	

प्रतीक्षा किये बगैर और प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्थिति स्पष्ट हो जाती। लेकिन आवेदक द्वारा प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बगैर निगरानी प्रस्तुत की।

4— तहसीलदार तहसील दतिया के प्रकरण कमांक 13 / अ—70 / 2016—17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 11.8.17 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य